2024/274

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 183, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीः– पवन कुमार तंवर पुत्र मालचन्द तंवर जाति माली निवासी छापरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– कमलेश कुमार पंवार पुत्र सुण्डाराम पंवार जाति माली निवासी बाल मन्दिर के पास रेल्वे स्टेशन रोड़ डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...125 / 2024 सन्–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
24.07.2024	प्रार्थी पवन कुमार तंवर पुत्र मालचन्द तंवर जाति माली निवासी छापरी गेट डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कमलेश कुमार पंवार पुत्र सुण्डाराम पंवार जाति माली निवासी बाल मन्दिर के पास रेल्वे स्टेशन रोड़ डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण कमलेश कुमार तथा संदीप सोनी की तरफ से अधिवक्ता श्री समदरसिंह नाथावत व श्री विकास सैनी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल रहे है। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने प्रकरण में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नही करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया व रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत होगा। इस स्टेज पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किए जाने का आधार नही है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति की प्रार्थी की इस्तदुआ वर्तमान स्टेज पर अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया। शेष अप्रार्थीगण तलब होकर ... दिनांक 23.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

23/8/24

पत्रावली पेश हुई ।
बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है।
पत्रावली दिनांक 26/9/24 को पेश हो।

26/9/24

पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है।
मिसल दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

18/10/24 पत्रावली पेश हुई ।
बार संघ डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रखे है।
पत्रावली दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

21/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई। बावजूद आवाज लगाने के प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर नहीं होने से पत्रावली अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारीज की जाकर पत्रावली फैजल शुमार नम्बर से नष्ट हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 11:37:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner